

दूरभाष:- 24364120
24366794
24368158

संख्या - 6/1/2024-हिंशियो.(मु)/ 70

भारत सरकार

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय

हिंदी शिक्षण योजना (मुख्यालय)

Government of India

Department of Official Language, Ministry of Home Affairs

Hindi Teaching Scheme (HQ)

7वां तल, अंत्योदय भवन,

सी जी ओ कांप्लेक्स, लोदी रोड,

नई दिल्ली - 110003

7th Floor, Antyodaya Bhavan,

CGO Complex, Lodi Road,

New Delhi-110003

दिनांक/Dated : 08-01-2025

सेवा में

उप निदेशक (हिंशियो)/ सहायक निदेशक (भाषा) एवं कार्यालयाध्यक्ष

(मध्योत्तर/दक्षिण/पूर्व/पश्चिम/पूर्वोत्तर)

हिंदी शिक्षण योजना,

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,

नई दिल्ली/चेन्नै/कोलकाता/मुंबई/गुवाहाटी ।

विषय :- हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत संचालित हिंदी भाषा, हिंदी टंकण तथा हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए वर्ष 2025-26 हेतु लक्ष्य निर्धारण।

महोदय/ महोदया,

उपर्युक्त विषय से संबंधित लक्ष्य निर्धारित करते हुए यह सूचित करना है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के हिंदी शिक्षण योजना के लक्ष्य निर्धारित कर दिए गए हैं। जिनका ब्यौरा नीचे दिया जा रहा है।

2. हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत संचालित हिंदी भाषा (प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ एवं पारंगत) तथा हिंदी टंकण/हिंदी आशुलिपि के ऐसे दो-दो सत्र (हिंदी भाषा के जनवरी-मई तथा जुलाई-नवंबर, हिंदी टंकण के फरवरी-जुलाई तथा अगस्त-जनवरी) आयोजित होते हैं जिनका परीक्षा परिणाम एक ही वित्तीय वर्ष में घोषित किया जाता है। इनके अलावा हिंदी आशुलिपि का एक सत्र फरवरी-जनवरी (जिसका परीक्षा परिणाम फरवरी में घोषित होता है) में आयोजित किया जाता है। इस प्रकार हिंदी भाषा का प्रथम सत्र जनवरी, 2025 से एवं द्वितीय सत्र जुलाई, 2025 से प्रारंभ किए जाएँगे। हिंदी टंकण का प्रथम सत्र फरवरी, 2025 से तथा द्वितीय सत्र अगस्त, 2025 से प्रारंभ किए जाएँगे। इनके क्षेत्रवार लक्ष्य क्रम संख्या 03 पर विस्तार से दिए गए हैं :-

3. वर्ष 2025-26 के लिए हिंदी भाषा, हिंदी टंकण, हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण के लिए क्षेत्रवार लक्ष्य निम्नानुसार निर्धारित किए गए हैं :-

| क्षेत्र | हिंदी भाषा | | | हिंदी टंकण/ हिंदी आशुलिपि (समेकित) | | |
|------------|----------------|---------------|-------|------------------------------------|---------------|------|
| | पूर्णका.केंद्र | अंशका. केंद्र | योग | पूर्णका.केंद्र | अंशका. केंद्र | योग |
| मध्योत्तर | 2600 | --- | 2600 | 1760 | 40 | 1800 |
| दक्षिण | 5460 | --- | 5460 | 640 | -- | 640 |
| पूर्व | 4160 | --- | 4160 | 320 | 40 | 360 |
| पश्चिम | 3640 | 80 | 3720 | 320 | 40 | 360 |
| पूर्वोत्तर | 1560 | 40 | 1600 | -- | 40 | 40 |
| योग | 17420 | 120 | 17540 | 3040 | 160 | 3200 |

4. जुलाई, 2022 में चेन्नै में हुई केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान के अधिकारियों एवं क्षेत्रीय संयुक्त निदेशकों / उप निदेशकों की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि सभी क्षेत्रीय कार्यालय अपने कम से कम 01 संकाय सदस्य से हिंदी भाषा गहन की कक्षाएँ आयोजित करवाएँगे। इसके अतिरिक्त संस्थान / उप संस्थानों में तैनात सहायक निदेशकों की गहन हिंदी कक्षाओं में नामांकन/दाखिला निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप नहीं हो पा रहा था। इस संबंध में निदेशक (संस्थान) की अध्यक्षता में दिनांक 05 सितंबर, 2013 को आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप वे हिंदी भाषा गहन की कक्षाओं के बजाए हिंदी शिक्षण योजना की कक्षाओं का संचालन करेंगे। सभी क्षेत्रीय कार्यालय इसका अनुपालन सुनिश्चित कर प्रशिक्षण व्यवस्था को सुचारु रूप से संचालित करवाएँ।

5. दर्शाई गई उक्त तालिका में लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रत्येक हिंदी प्राध्यापक/सहायक निदेशक (भाषा) के लिए हिंदी प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ एवं पारंगत की कक्षाओं में प्रति सत्र कम से कम 130 प्रशिक्षार्थी तथा दो सत्रों में प्रतिवर्ष कुल 260 प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित है।

6. इसी प्रकार हर सहायक निदेशक (हिंदी टंकण/ हिंदी आशुलिपि) को प्रत्येक सत्र में कम से कम 65 तथा दो सत्रों में 130 प्रशिक्षार्थी हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि की कक्षा के 30 प्रशिक्षार्थी अर्थात् कुल 160 प्रशिक्षार्थी प्रतिवर्ष प्रशिक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित है। राजभाषा विभाग से प्राप्त निदेशानुसार हिंदी शब्द संसाधन / हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि के समेकित लक्ष्य निर्धारित किए जाने हैं।

7. वर्ष 2025-26 के लिए हिंदी शिक्षण योजना के पाँचों क्षेत्रों में हिंदी प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ एवं पारंगत तथा हिंदी टंकण, हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण हेतु प्रति छमाही क्षेत्रवार निम्नानुसार लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं :-

| क्षेत्र | हिंदी भाषा, हिंदी टंकण, हिंदी आशुलिपि के लिए प्रति छमाही निर्धारित लक्ष्य | |
|------------|---|---|
| | हिंदी भाषा पूर्णकालिक + अंशकालिक | हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि पूर्णकालिक + अंशकालिक |
| मध्योत्तर | 1300 | 900 |
| दक्षिण | 2730 | 320 |
| पूर्व | 2080 | 180 |
| पश्चिम | 1860 | 180 |
| पूर्वोत्तर | 800 | 20 |
| योग | 8770 | 1600 |

8. उपर्युक्त लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए यह सुनिश्चित करने का कष्ट करें कि सभी कक्षाओं में दाखिला लक्ष्यों के अनुरूप हो। कक्षाओं के गठन के समय इस बात का भी ध्यान रखना आवश्यक होगा कि निर्धारित प्रतिमानों के अनुसार कक्षाओं का गठन किया जाए। जिन प्रशिक्षण केंद्रों पर कक्षाओं का नामांकन कम हुआ है, उन कक्षाओं में नामांकन बढ़ाने के लिए सघन प्रयास किए जाएं। प्रयास करने पर भी यदि नामांकन में वृद्धि न हो पाई हो या होने की संभावना न हो तो ऐसे केंद्रों के संबंध में रिपोर्ट भेजते समय उप निदेशक/ कार्यालयाध्यक्ष अपना विश्लेषणात्मक अभिमत भी भेजें कि किन कारणों से इन केंद्रों में नामांकन कम हुआ। ऐसे पूर्णकालिक केंद्रों के बदले अंशकालिक केंद्र खोलने की संभावनाओं पर विचार किया जाए। वर्ष 2025-26 के दोनों सत्रों की उपलब्धि की समीक्षा भी की जाए। अगर लक्ष्यों की पूर्ण प्राप्ति नहीं हो पाई है तो उसके कारण जात कर विस्तृत रिपोर्ट इस कार्यालय को भेजी जाए और भविष्य में लक्ष्यों की प्राप्ति के पूर्ण प्रयास किए जाएं। यदि प्रशिक्षण के लिए शेष अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या पर्याप्त नहीं है तो उस प्रशिक्षण केंद्र को अंशकालिक प्रशिक्षण केंद्र में यथाशीघ्र परिवर्तित करने तथा हिंदी प्राध्यापक/सहायक निदेशक को अन्यत्र स्थानांतरण करने के लिए, जहाँ पर प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त कार्य हो, समुचित प्रस्ताव भेजे जाएं। इसी तरह की समीक्षा हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण केंद्रों के लिए भी अत्यावश्यक है।

9. उल्लेखनीय है कि निर्धारित लक्ष्य न्यूनतम हैं। अतः कृपया यह सुनिश्चित करने का कष्ट करें कि केवल न्यूनतम लक्ष्यों की ही प्राप्ति न की जाए अपितु निर्धारित न्यूनतम लक्ष्य से अधिक अधिकारियों/कर्मचारियों को कक्षाओं में प्रवेश देकर प्रशिक्षण दिया जाए।

10. आपके क्षेत्र में जो पूर्णकालिक या अंशकालिक केंद्र बंद पड़े हैं, उन्हें पुनः चालू करने की संभावनाओं का पता लगाकर यदि संभव हो तो उन्हें पुनः चालू करने की कार्रवाई की जाए। प्रशिक्षण कार्य में गति लाने के लिए उप निदेशक/कार्यालयाध्यक्ष स्वयं समय-समय पर प्रशिक्षण केंद्रों का निरीक्षण करें और हिंदी प्राध्यापकों/सहायक निदेशकों की समस्याओं का समाधान भी निकालें। कक्षाओं का आबंटन इस प्रकार किया जाए कि सभी सहायक निदेशक (भाषा)/सहायक निदेशक (हिंदी टंकण/हिंदी आशुलिपि)/हिंदी प्राध्यापकों की क्षमताओं का पूर्ण उपयोग हो सके।

11. सत्र के प्रारंभ में संपर्क अधिकारियों और विभागाध्यक्षों की बैठक बुलाना तथा लगातार उनसे संपर्क बनाए रखना कक्षा गठन कार्य में बहुत उपयोगी होगा। अतः इस दिशा में भी कार्रवाई की जाए।

12. अंशकालिक प्रशिक्षण केंद्रों का समय-समय पर निरीक्षण किया जाए तथा वहाँ पर तैनात अनुदेशकों का मार्गदर्शन भी किया जाए। ऐसे प्रशिक्षण केंद्रों का निरीक्षण कार्य अनुभवी उप निदेशकों / सहायक निदेशकों को सौंपा जाए, जो नियमित रूप से उनको यथोचित दिशा-निर्देश दे सकें।

13. कृपया इस बात के भी विशेष प्रयास किए जाएं कि जहां पर पूर्णकालिक प्रशिक्षण केंद्र खोलना संभव न हो वहाँ आवश्यकतानुसार अंशकालिक प्रशिक्षण केंद्र खोलने की कार्रवाई की जाए।

14. हिंदी आशुलिपि की कक्षा का गठन न हो पाने की स्थिति में हिंदी टंकण की दो अतिरिक्त कक्षाएँ गठित करनी होंगी। इस स्थिति में यह लक्ष्य 190 प्रशिक्षार्थी प्रति सहायक निदेशक (हिंदी टंकण/ हिंदी आशुलिपि) माना जाएगा।

अनुरोध है कि प्रत्येक सत्र में कक्षाओं के गठन के बाद अपने-अपने क्षेत्रों के सभी पूर्णकालिक/ अंशकालिक प्रशिक्षण केंद्रों की नामांकन स्थिति केंद्रवार सहायक निदेशक (भाषा)/ सहायक निदेशक (हिंदी टंकण/ हिंदी आशुलिपि)/ हिंदी प्राध्यापक/ अंशकालिक प्राध्यापक/ अनुदेशकवार प्रत्येक सत्र की रिपोर्ट सत्र प्रारंभ होने के बाद प्रतिमाह प्रथम सप्ताह में मुख्यालय को निर्धारित प्रपत्र में अवश्य उपलब्ध करवा दें। जिन कक्षाओं में कम नामांकन हुआ हो, उन कक्षाओं को अन्य दूसरी कक्षाओं में मिलाने के अनुदेश दें और ऐसे प्रभावी कदम उठाए जाएं जिससे कि कक्षाओं में नामांकन लक्ष्यों के अनुरूप हो सके। साथ ही, सभी उप निदेशक / कार्यालयाध्यक्ष अपने-अपने क्षेत्र से संबंधित मासिक प्रगति रिपोर्टें तथा अर्ध वार्षिक प्रगति रिपोर्टें यथासमय मुख्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।

हिंदी भाषा, हिंदी शब्द संसाधन एवं हिंदी टंकण, आशुलिपि प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु प्रणाली में डाटा सही एवं समय पर अपलोड करवाना सुनिश्चित करें। प्राइवेट प्रशिक्षार्थियों से संबंधित मासिक रिपोर्ट भी यथासमय भिजवाना सुनिश्चित करें।

भवदीय


(ले. कर्नल रामनरेश शर्मा)

निदेशक

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित:-

1. उप सचिव (प्रशिक्षण), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, एन.डी.सी.सी भवन-II, नई दिल्ली।
2. उप निदेशक (हिंदी टंकण/ हिंदी आशुलिपि) एवं कार्यालयाध्यक्ष, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली।
3. उप निदेशक (हिशियों), अनुसंधान एवं विश्लेषण एकक/ पत्राचार/दक्षिण, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/ पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली/ चेन्नई।
4. उपनिदेशक/सलाहकार, 2-ए, पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली
5. उप निदेशक (हिंदी टंकण/ हिंदी आशुलिपि), हिंदी शिक्षण योजना, मध्योत्तर/पूर्व/पश्चिम, नई दिल्ली/ कोलकाता/ मुंबई।
6. उप निदेशक (परीक्षा), हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली।
7. सहायक निदेशक (मुख्यालय) एवं नोडल अधिकारी (प्रणाली), केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली।
8. सहायक निदेशक (हिंदी टंकण/ हिंदी आशुलिपि), अनुसंधान एवं विश्लेषण एकक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली को इस निदेश के साथ कि इसे संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड कराएँ।